विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-34/15

श्री परशुराम गुप्ता, — आवेदक
पुराना बस स्टेण्ड,
उत्सव वाटिका,
शिवपुरी म.प्र. 473551

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) वृत्त — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
शिवपुरी म.प्र.

आदेश

(दिनांक 03.02.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक G.T./77 श्री परशुराम गुप्ता विरूद्ध उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. शिवपुरी में पारित आदेश दिनांक 19.12.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–34/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 2.2.2016 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा अपने आवेदन के संबंध में निम्न 4 मुख्य बिन्दुओं के निराकरण हेतु अनुरोध किया तथा अपने तर्क प्रस्तुत किये –

(i) जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक ट्रांसफार्मर जले होने के कारण विद्युत नहीं मिलने के समय तक की गई बिलिंग को समाप्त किया जाए।

(ii) नवंबर 2013 से मार्च 2014 तक 819 यूनिट औसत बिल के विरूद्ध 720 यूनिट की बिलिंग की जाए।

(iii) मार्च 2013 में विजिलेंस टीम द्वारा जाँच के समय मेरी फैक्ट्री की मशीनें बंद पायी गई (ओई–1) बावजूद इसके मेरे पर नियमित बिल जारी किये जा रहें, जिसको तत्काल सुधार किया जाए।

(iv) फोरम ने अपने आदेश में सितंबर 2014 से विभाग द्वारा मेरे कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित किये जाने के 6 माह पश्चात कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित करने के आदेश को अपास्त किया जाए।

04 उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्कों के विश्लेषण के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलता है–

(i) आवेदक के कथन कि जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक ट्रांसफार्मर जले होने के कारण विद्युत प्रदाय न मिलने से इस अवधि की बिलिंग निरस्त की जाए। इस संबंध में विद्युत प्रदाय संहिता 2004 का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि अध्याय–11 की कंडिका 11.3 में उपभोक्ता को यदि एक माह में 10 दिन की निरंतर अवधि में विद्युत प्रदाय नहीं करने पर निम्नानुसार प्रावधान किया गया है –

11.3 ऐसे उपभोक्ता, जिन पर कोई राशि बकाया नहीं है या जिनका कनेक्शन विच्छेदित या असंयोजित नहीं है, को अनुज्ञप्तिधारी एक कलेण्डर महीने में कम से कम 10 दिनों के लिए विद्युत प्रदाय करने में असमर्थ रहता है (विद्युत कटौती का प्रत्येक दिन 00.00 घंटे से 24.00 घंटे तक होगा) तो अनुज्ञप्तिधारी निम्नानुसार विद्युत प्रभार उपभोक्ता से लेगा

(अ) ऊर्जा प्रभार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर होगा।

(ब) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और सेस को छोड़कर) की गणना, जितने हदिन तक बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को की गई है, उसके अनुपातिक आधार पर की जाएगी।

यह सुविधा केवल उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जिनके कनेक्शन मीटरयुक्त हैं।

(ii) आवेदक द्वारा मई 2013 से औसत बिल 819 यूनिट प्रतिमाह के स्थान पर 720 यूनिट प्रतिमाह (न्यूनतम खपत के आधार पर) करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया गया कि मीटर रीडिंग डायरी में अप्रैल 2012 में मीटर जला होना दर्शाया गया है। अतः अनावेदक द्वारा जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2012 में आवेदक द्वारा की गई विद्युत खपत के औसत यूनिट 819 के आधार पर अप्रैल 2012 से फरवरी 2014 तक बिलिंग की गई। अर्थात उक्त अवधि में आवेदक के परिसर में स्थापित जला हुआ मीटर नहीं बदला गया।

(iii) आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि इस अवधि में उनके यहॉ विद्युत का उपयोग केवल एक विद्युत पंप के लिए किया जा रहा था। इसकी पुष्टि दिनांक 25.5.2013 को विभाग के अधिकारी द्वारा परिसर निरीक्षण रिपोर्ट (ओई–3) में अवगत कराया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि केवल एक 5 हार्सपावर का पंप चलाये जाने पर आवेदक के परिसर में 819 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से खपत दर्ज नहीं हो सकती। परन्तु चूंकि अनुबंध की शर्त के अनुसार आवेदक को 720 यूनिट प्रतिमाह की दर से न्यूनतम बिलिंग की जानी है । अतः विभाग द्वारा समय से मीटर न बदलने का लाभ देते हुए आवेदक को मई 2013 से फरवरी 2014 तक 720 यूनिट औसत बिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(iv) फोरम द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.12.2015 में सितंबर 2014 से आवेदक के परिसर को अस्थायी डिस्कनेक्ट मानते हुए 6 माह की बिलिंग करने के पश्चात स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर उसके पश्चात की गई बिलिंग को निरस्त करने के संबंध में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.27 का अध्ययन किया गया। जिसके अनुसार ***यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबन्ध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है, तो नोटिस की अवधि समाप्त***

होने के उपरांत, अनुज्ञप्तिधारी का अनुबन्ध समाप्त हो जाएगा बशर्ते अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हो / चूंकि इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के साथ अनुबंध की अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है अतः आवेदक द्वारा विद्युत देयकों के भुगतान न करने के कारण परिसर लगातार 60 दिनों तक विच्छेदित रहा । अनावेदक को पूर्व में ही अनुबंध समाप्त होने के दृष्टिगत 15 दिन का नोटिस आवेदक को जारी कर स्थायी रूप से कनेक्शन विच्छेदित कर उसके पश्चात विद्युत देयक जारी नहीं करना चाहिए थे।

05 अतः फोरम द्वारा अस्थायी डिस्कनेक्ट के पश्चात 6 माह तक बिलिंग करने के पश्चात स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करने का आदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 7.27 के विपरीत होने के कारण अपास्त करने योग्य है।

06 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.22 के अनुसार यदि उपभोक्ता के परिसर में मीटर 15 दिन से अधिक अवधि तक त्रुटिपूर्ण होता है तो इस अवस्था में उपकरणों के प्रति कोई मापयंत्र प्रभार (मीटरीकृत चार्ज) देय नहीं होगा। अतः इस प्रावधान के तहत फोरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.12. 2015 में आवेदक के परिसर में जले हुए मीटर लगे रहने में मीटर किराये के विरूद्ध की गई बिलिंग को निरस्त करने का आदेश उचित एवं मान्य है।

अतः उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर आदेशित किया जाता है –

अ जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक ट्रांसफार्मर जला होने के कारण आवेदक को विद्युत प्रदाय नहीं किये जाने पर विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के अध्याय–11 की कंडिका 11.3 के प्रावधान अनुसार जनवरी 2011 से मार्च 2011 तक की अवधि के बिल संशोधित किये जाएं।

ब आवेदक को मई 2013 से फरवरी 2014 की अवधि में दिये गये विद्युत देयकों को न्यूनतम खपत 720 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर संशोधित किये जाएं।

स आवेदक द्वारा निरंतर विद्युत देयकों का भुगतान न करने के कारण उनका कनेक्शन सितंबर 2014 में अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.27 के प्रावधान अनुसार अक्टूबर 2014 में कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित मानते हुए इस माह के पश्चात की गई बिलिंग एवं सरचार्ज की राशि निरस्त की जाए।

द यदि उपभोक्ता द्वारा आदेश के बिन्दु (अ) एवं (ब) के अनुसार संशोधित विद्युत देयक के उपरांत बकाया राशि का भुगतान कर देता है तो उनका कनेक्शन पुनः संयोजित किया जाए।

आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल